

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.. 29.12.2021.....


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.813 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेष्कर के अंतर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०) **district Almora falls within jurisdiction Tuleri, Naini Village (s) in Lamgara Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **3.600** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: -YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: -YES

Encl: As above


 विभा. प्रमुख, जल संसाधन विभाग
 नैनीताल


Vandana Singh
 District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated. 29-12-2021.....


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **3.600 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०) **district Almora falls within jurisdiction Tuleri, Naini Village (s) in Lamgara Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **3.600** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Tuleri, Naini** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above


 District Collector, Almora


Vandana Singh
 District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vandana Singh, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 29.12.2021.....at time 5.00 PM.....at Almora in which application claiming rights of **Tuleri, Naini** measuring **3.600 hac.** for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lamgara** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


 Deputy Commissioner-cum-Chairman
 District Level Committee

DATE:



परियोजना का विवरण:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा लमगड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा।

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी० हेतु 3.600 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 13.12.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री गोपाल सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री आनन्द बल्लभ पाठक वन क्षेत्राधिकारी, जागेश्वर, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- श्री शैलेंद्र पाठक सहायक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लमगड़ा, सदस्य/सचिव
- 4- श्री निर्मला अधिकारी बी०डी०सी० क्षेत्र 10 तुलैड़ी सदस्य निर्मला

क्षेत्र पंचायत-तुलैड़ी
खण्ड-लमगड़ा अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
जागेश्वर रेखा
पनुवागोला (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी० हेतु 3.600 है०, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी(जिफल्दा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लमगड़ा व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लमगड़ा व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नैनी जिफल्टा

तहसील-अल्मोड़ा व जिला-अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी० हेतु 3.60 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनी जिफल्टा द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया-प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुलैड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

निर्मला
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-तुलैड़ी
खण्ड-लमगड़ा, अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत-नैनी, जिफल्टा
खण्ड-लमगड़ा, अल्मोड़ा
ग्राम प्रधान ✓

दिनांक 02.12.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पुष्पा

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	दशरथ सिंह नैनवाल	
2	देवेन्द्र सिंह नैनवाल	
3	हेमा नैनवाल	
4	मदन सिंह नैनवाल	
5	लीला देवी	
6	प्रेमा देवी	
7	मनोज कुमार सिंह	
8	गणेश सिंह नैनवाल	
9	सुविर्ता देवी	
10	बचन सिंह	
11	राम सिंह	
12	विनय नैनवाल	
13	गोपाल सिंह नैनवाल	
14	प्रकाश नैनवाल	
15	दीपा देवी	
16	भूपाल सिंह	
17	विशाल सिंह	
18	सहेल सिंह	
19	निवेश	
20	अध्यात्म सिंह	
21	रमेश	
22	कमला देवी	
23	कमला देवी	
24	कमला देवी	
25	प्रेमा देवी	
26	कमला देवी	
27	नकुल सिंह	
28	राजत सिंह	
29	राहुल नैनवाल	
30	महिपाल सिंह	
31		

निर्मला
ग्राम पंचायत-बुलेडी
वि० प्र०-लमगडा अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत-बुलेडी, जिला अल्मोड़ा
वि० प्र०-लमगडा अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नैनी जिफल्टा

तहसील-अल्मोड़ा व जिला-अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिला गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई लम्बाई 4.00 कि०मी० हेतु 3.600 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनी जिफल्टा द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

निर्मला
ग्राम पंचायत-तुलैड़ी
वि०ख०-लमगड़ा, अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत-नैनी, जिफल्टा
वि०ख०-लमगड़ा, अल्मोड़ा
ग्राम प्रधान ✓

दिनांक 01.12.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नैनी

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	दर्शन सिंह नैनवाल	
2	देवेन्द्र सिंह नैनवाल	
3	हेमा नैनवाल	
4	मदन सिंह नैनवाल	
5	लीला देवी	
6	प्रेमा देवी	
7	मनोज्ञ सिंह	
8	गणेश लाल नैनवाल	
9	सुमित्रा देवी	
10	बन्ना सिंह	
11	राम सिंह	
12	विनय नैनवाल	
13	गोपाल सिंह नैनवाल	
14	पुकारा नैनवाल	
15	हेमा देवी	
16	मृणाल सिंह	
17	किशन सिंह	
18	महेश सिंह	
19	किशोर	
20	मधन सिंह	
21	रमेश	
22	कमला देवी	
23	कमला देवी	
24	प्रेमा देवी	
25	कमला बिष्ट	
26	नकुल सिंह	
27	राजन सिंह	
28	राहुल नैनवाल	
29		
30		
31		

निर्मला
क्षेत्र पंचायत-बुलेडी
वि० सं०-लमगाडा रास्ता

ग्राम पंचायत-नैनी, तिकलटा
वि० सं०-लमगाडा रास्ता
ग्राम प्रधान